न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 511 सन 2018

अनवान :–

1. प्रमेश्वरी पत्नी श्याम सुन्दर जाति लखारा साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. सुनिल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति लखारा साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 6/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 266/245 के खसरा न0 121/3 की 0.2530 ,खसरा न0 122/3 की 0.8100हैक खसरा न0 145/2 की 0.7340हैक कुल 1.7960हैक जिसके वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के पति जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द था वादीया के पति जगदीश प्रसाद का देहान्त हो गया वादीया के पति जगदीश के देहान्त होने के वाद उसके छोटे भाई श्यामसुन्दर के साथ पत्नि के रूप में रहने लगी है तथा वादीया ने अपने सभी दस्तावेजात में अपने नये पति श्यामसुन्दर दर्ज है अर्थात प्रमेश्वरी पत्नि जगदीश प्रसाद के स्थान पर प्रमेश्वरी पत्नि श्यामसुन्दर दर्ज है

वादीया के सभी दस्तावेजात जैसे परिवार राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड , मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड सभी में अपने प्रमेश्वरी पत्नि श्यामसुन्दर दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया का प्रमेश्वरी पत्नि जगदीश प्रसाद दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाऐं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ,खाद बीज का ऋण , वादीया को प्राप्त नही हो रहा है इसलिये वादीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया की वादीया नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये वादीया ने यह वाद पेश किया गया है।

वादीया का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 266/245 के खसरा न0 121/3 की 0.2530 ,खसरा न0 122/3 की 0.8100हैक खसरा न0 145/2 की 0.7340हैक कुल 1.7960हैक में वादीया का नाम प्रमेश्वरी पत्नि जगदीश के स्थान पर प्रमेश्वरी पत्नि श्याम सुन्दर संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 266/245 के खसरा न0 121/3 की 0.2530 ,खसरा न0 122/3 की 0.8100हैक खसरा न0 145/2 की 0.7340हैक कुल 1.7960हैक जिसके वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के पति जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द था वादीया के पति जगदीश प्रसाद का देहान्त हो गया वादीया के पति जगदीश के देहान्त होने के वाद उसके छोटे भाई श्यामसुन्दर के साथ पत्नि के रूप में रहने लगी है तथा वादीया ने अपने सभी दस्तावेजात में अपने

वादीया के सभी दस्तावेजात जैसे परिवार राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड , मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड सभी में अपने प्रमेश्वरी पत्नि श्यामसुन्दर दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया का प्रमेश्वरी पत्नि जगदीश प्रसाद दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाऐं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ,खाद बीज का ऋण , वादीया को प्राप्त नही हो रहा है इसलिये वादीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने की अधिकारी है।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 266/245 के खसरा न0 121/3 की 0.2530 ,खसरा न0 122/3 की 0.8100हैक खसरा न0 145/2 की 0.7340हैक कुल 1.7960हैक जिसके वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वादी का कथन है कि वादीया की शादि जगदीश पुत्र रामचन्द के साथ हुई थी किन्तु जगदीश पुत्र रामचन्द के देहान्त होने के बाद उसके छोटे भाई श्यामसुन्दर के साथ पत्नि के रूप में रहती है इसलिये उसका पति का नाम राजस्व रिकार्ड में जगदीश के स्थान पर श्याम सुन्दर दर्ज किया जावे।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार भामाशाह कार्ड , मतदाता फोटा पहचान पत्र आदि सभी में वादीया के पित का नाम श्याम सुन्दर दर्ज है।

सरपंच ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार वादीया की शादि पहले जगदीश पुत्र रामचन्द के साथ हुई थी जगदीश पुत्र रामचन्द के देहान्त होने पर उसके छोटे भाई श्याम सुन्दर के साथ पत्नि के रूप में निवास कर रही है वादीया के पति का नाम जगदीश के स्थान पर श्याम सुन्दर है।

प्रस्तुत दस्तावेजात सरपंच ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार वादीया की शादी पूर्व में जगदीश पुत्र रामचन्द के साथ हुई थी जिसके देहान्त होने के बाद वादीया वर्तमान में श्यामसुन्दर के साथ पति के रूप में निवास कर रही है एवं वादीया के सभी दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड के अलावा में वर्तमान पति श्याम सुन्दर का ही नाम अंकित है वादीया मृतक जगदीश के स्थान पर वर्तमान पति श्याम सुन्दर दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादीया के मृतक पति का नाम अकित है यदि वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी पेश नही किया गया है यदि वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 266/245 के खसरा न0 121/3 की 0.2530 ,खसरा न0 122/3 की 0.8100हैक खसरा न0 145/2 की 0.7340हैक कुल 1.7960हैक वादीया का नाम प्रमेश्वरी पत्नि जगदीश दर्ज है के स्थान पर प्रमेश्वरी पत्नि श्याम सुन्दर संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. प्रमेश्वरी पत्नि श्याम सुन्दर जाति लखारा साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. सुनिल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति लखारा साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 511 सन 2018 निर्णय दिनांक– 6/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 266/245 के खसरा न0 121/3 की 0.2530 ,खसरा न0 122/3 की 0.8100हैक खसरा न0 145/2 की 0.7340हैक कुल 1.7960हैक वादीया का नाम प्रमेश्वरी पत्नि जगदीश दर्ज है के स्थान पर प्रमेश्वरी पत्नि श्याम सुन्दर संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)